संख्या-365/तीन-2019-11 (3) / 09

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

सामान्य प्रशासन अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 09 जुलाई, 2019**

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में रामलीला के व्यय तथा मन्दिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के लिए आल इण्डिया काशी राज ट्रस्ट वाराणसी को अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ऑल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी को रामलीला के व्यय को वहन करने तथा मन्दिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,000/- (रू0 पॉच लाख मात्र) में से संलग्न विवरण के अनुसार रू0 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अवशेष 50 प्रतिशत (रू0 2,50,000/- मात्र) की वित्तीय स्वीकृति तभी जारी की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि रू0 2,50,000/-का नियमानुसार उपयोग करने के उपरान्त उसकी उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- स्वीकृति धनराशि उन मदों में व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा एकमुश्त कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी, बल्कि द्विमासिक फेजिंग करके आवश्यकता के आधार कोषागार से आरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा बिल को जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का ''फांटवार'' उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-84 के अन्तर्गत **''लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101-धमार्थ प्रयोजन के लिए दान- 03-रामलीला के व्यय तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध के लिए ऑल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट वाराणसी को सहायक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त आदेशों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-365(1)/तीन-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबद।

2- कोषाधिकारी, वाराणसी।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।

5- जनरल सेक्रेटरी, आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, फोर्ट रामनगर, वाराणसी।

6- समन्वय सहायक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

भैरव नाथ शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-365/तीन-2019-11(3)/09, दिनांक 09 जुलाई, 2019 का संलग्नक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	व्यय की मद	धनराशि (रूपये में)
(1)	रागभोग मन्दिरान एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध, दैनिक ब्राह्मण भोजन, माला, फूल आदि	1,25,000.00
(2)	रामलीला पर व्यय	35,000.00
(3)	रामलीला भण्डारा पर व्यय	50,000.00
(4)	रासलीला पर व्यय	25,000.00
(5)	प्रशासनिक व्यय	15,000.00
	योग:	2,50,000.00 (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र)

भैरव नाथ शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सामान्य प्रशासन विभाग

आवंटन आदेश संख्याः 002-gad1/365 **आवंटन तिथिः** 25/07/2019

कोषागारः 27 - वाराणसी **वित्तीय वर्षः** 2019-2020

अधिकारी/जनपद का संख्याः 4183-

जिलाधिकारी **अधिकारी कार्यालय संख्याः** 01--

अनुदान संख्याः 84- सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षकः2250- अन्य सामाजिक सेवायें

101 - धमार्थ प्रायोजनों के लिए दान

03 - राम लीला के व्यय तथा मंन्दिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध के लिए आल इन्डिया काशी राज ट्रस्ट वाराणसी को सहायक अनुदान

आयोजनेत्तर-मतदेय

कोषागारः वाराणसी **(धनराधि रूपये में)**

मानक मद	**पूर्व आवंटन**	**वर्तमान आवंटन**	**प्रगामी आवंटन**
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0	250000	250000
योग:	**0**	**250000**	**250000**

हरीराम

उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।